लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम पंचायत –मोरण

पीठासीन अधिकारी– विजेन्द्र कुमार मीना, आर.ए.एस		
मुकदमा नम्बर	तारीख रजु	तारीख निर्णय
65 / 2013	17.12.2013	30/5/18

डगली देवी टीकाराम जाति मीना, निवासी बोरखेड़ा तहसील बौंली – प्रार्थीया

बनाम

1. मथुरा पत्नि रामनिवास गुर्जर, निवासी अणतपूरा, तहसील चाकसू जिला जयपूर
2. मथुरा पत्नि कानाराम गुर्जर, निवासी अणतपूरा, तहसील चाकसू जिला जयपूर
3. शायरा पत्नि बत्तीलाल गुर्जर, निवासी अणतपूरा, तहसील चाकसू जिला जयपूर
4. दुर्गा पत्नि चिरंजीलाल गुर्जर, निवासी अणतपूरा, तहसील चाकसू जिला जयपूर
5. रूक्मणी पत्नि सूरजमल गुर्जर, निवासी अणतपूरा, तहसील चाकसू जिला जयपूर
6. शंकर पुत्र जगदीश गुर्जर, निवासी अणतपूरा, तहसील चाकसू जिला जयपूर
7. कानाराम पुत्र भौरीलाल गुर्जर, निवासी दांतली तहसील सांगानेर, जिला जयपूर
8. ग्यारसीलाल पुत्र कुन्जीलाल गुर्जर, निवासी श्रीपूरा, तहसील निवाई जिला टोंक
9. लेण्ड होल्डर तहसीलदार, बौंली जिला सवाई माधोपूर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 30/5/18

उप जिला कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

आदेश

यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीया ने इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बोरखेड़ा की जमाबंदी संवत्2069–72 में खाता संख्या 232 में भूमि खसरा नंबर 915 रकबा 1.22 हेक्टर, 916 रकबा 0.40 हेक्टर, 917 रकबा 0.95 हेक्टर, 920 रकबा 0.64 हेक्टर, 921 रकबा 0.53 हेक्टर, 922 रकबा 0.32 हेक्टर, 923 रकबा 0.37 हेक्टर, 924 रकबा 0.70 हेक्टर, 925 रकबा 0.73 हेक्टर, 926 रकबा 0.40 हेक्टर, 927 रकबा 1.26 हेक्टर, 928 रकबा 0.47 हेक्टर, 929/1064 रकबा 0.31, 930 रकबा 0.77 हेक्टर, 931/997 रकबा 0.63 हेक्टर, 932/1009 रकबा 0.50 हेक्टर, भूमि शंकरलाल पुत्र जगदीश जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 सा0 अणतपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर, कानाराम पुत्र भौरीलाल जाति गुर्जर सा0 दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर हिस्सा 1/2 खातेदार के नाम दर्ज है एवं नामान्तरकरणसंख्या 115 नि0दि0 20.03.2013 बेचान के द्वारा विक्रय पत्र के खसरा नंबर 929/1064 रकबा 0.31 हेक्टर को छोड़कर शेष खातें में किता 15 रकबा 9.89 हेक्टर में डगली देवी पत्नी टीकाराम जाति मीना सा0देह हि0 1221/1978 शंकरलाल पुत्र जगदीश गुर्जर हि0 957/1978 सा0 अणतपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर खातेदार के नाम स्वीकार हुआ। नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 08.05.2013 द्वारा वि0 पत्र किता 16/1020 में से शंकरलाल पुत्र जगदीश गुर्जर हि0 1/2 में से ग्यारसीलाल पुत्र

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

कुन्जीलाल गुर्जर निवासी श्रीपुरा तहसील निवाई जिला टोंक के नाम हि0 135/1020 शंकरलाल पुत्र जगदीश गुर्जर का बदस्तूर रहा तथा हि0 1/2 बदस्तूर जमाबंदी रहा। नामान्तरणकरण संख्या 111 दिनांक 26.06.2013 द्वारा रहन पत्र डगली देवी पत्नी टीकाराम का हिस्सा 1221/1978 राहिन बी.आर.जी.बी. शाखा बौंली मुर्तहीन स्वीकार हुआ। विवादित अराजीयात कुल 10.20 हेक्ट र भूमि में से प्रार्थीया ने खसरा नंबर 929/1064 को छोड़ते हुऐ 1221/1978 भूमि खरीद की है।जिस पर प्रार्थीया को खसरा नंबर 915, 916, 917, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927 भूमि पर काबिज खातेंदारों द्वारा कब्जा करमाया गया, जिसका नजरी नक्शा भी पेश किया गया है, जिस पर प्रार्थीया आज भी काश्त करती चली आ रही है। शेष खसरा नंबरान पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्ज भाग पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं है तथा उक्त भूमि अप्रार्थीगण ही काम में लेते आ रहे है जबकि काले रंग से रेखांकित भाग पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। दिनांक 01.12.2013 को अप्रार्थीगण द्वारा बं टवारा करने से इंकार कर दिया एवं कब्जे को लेकर आये दिन विवाद होते रहते है इसलिए समस्त खातेदार के मध्य राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारा होना जरूरी है। इस प्रकार प्राइमाफेसी केस प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है एवं भूमि को बिना विभाजन करवाये बेचान करने पर प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति भी संभव है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे किवे दौराने दावा वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में काले रंगा से दिखश गया भाग खसरा नंबर 915, 916, 917, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927 भूमि में प्रार्थीया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, उपरोक्त अराजीयात को रहन बेचान या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल न करे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगाायत 5 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि भूमि मुतदाविया में दर्ज भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की जा चुकी है जिसका नामान्तरकरण भी खुल चुका है। विवादित भूमि पर काबिज खातेदारों द्वारा कोई कब्जा प्रार्थीया को नहीं करववाया था तथा इस भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा पूर्व खातेदारों से क्रय किया गया थाएवं खरीदी हुई भूमि पर पुर्व खातेदारों अर्थात् विक्रेता द्वारा उनको कब्जा संभलाया गया। जवाब दौरान द्वारा जवाब में सारणी अंकित करते हुऐ स्वंय को खसरा नंबर 921 रकबा 0.53 हेक्टर, 923 रकबा 0.37 हेक्टर, 925 रकबा 0.73 हेक्टर, 926 रकबा 0.40 हेक्टर, 927 रकबा 0.50 हेक्टर, पशिचिम दिश की ओर की, 928 रकबा 0.47 हेक्टर, 930 रकबा 0.12 हेक्टर, पशिचिम दिशा की ओर की, 931/997 रकबा 0.63 हेक्टर, कुल किता 8 कुल रकबा 375 एयर यानि 15 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त होना बताया है जबकि प्रार्थीया की भूमि खसरा नंबर 915 रकबा 0.122 हेक्टर, 916 रकबा 0.40 हेक्टर, 917 रकबा 0.95 हेक्टर, 920 रकबा 0.64 हेक्टर, 922 रकबा 0.32 हेक्टर, 927 रकबा 0.76 हेक्टर पूर्व दिशा की ओर की, 930 रकबा 0.65 हेक्टर पुर्व दिशा की ओर की, 923/1009 रकबा 0.50 हेक्टर,कुल किता 9 कुल रकबा 614 एयर

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

यानि 24 बीघा 14 एयर दर्शायी गयी है। प्रार्थीया को पूर्व काश्तकारों द्वारा कोई कब्जा नहीं संभलाया गया था न ही प्रार्थीया का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। केवल भूमि की प्रार्थीया ने रजिस्ट्री करवाई है तथा प्रार्थीया का काले रंग से नक्शा में गलत तरीके से दर्शाया गया है। जिसमें कोंई सत्यता नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीया का उक्त भूमि पर कब्जा ही नहीं है तो किस प्रकार प्रार्थीया बंटवारा करवाना चाहती है। प्रार्थीया का बिना कब्जे प्रार्थना पत्र करना व्यर्थ है। पक्षकारान में कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना के समर्थन में छायाप्रति नकल जमाबंदी एवं नजरी नक्शा पेश किया है

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न छायाप्रति नकल जमाबंदी के अनुसार भूमि खसरा नंबर 915 रकबा 1.22 हेक्टर, 916 रकबा 0.40 हेक्टर, 917 रकबा 0.95 हेक्टर, 920 रकबा 0.64 हेक्टर, 921 रकबा 0.53 हेक्टर, 922 रकबा 0.32 हेक्टर, 923 रकबा 0.37 हेक्टर, 924 रकबा 0.70 हेक्टर, 925 रकबा 0.73 हेक्टर, 926 रकबा 0.40 हेक्टर, 927 रकबा 1.26 हेक्टर, 928 रकबा 0.47 हेक्टर, 929/1064 रकबा 0.31, 930 रकबा 0.77 हेक्टर, 931/997 रकबा 0.63 हेक्टर, 932/1009 रकबा 0.50 हेक्टर, वाके ग्राम बोरखेड़ा भूमि शंकरलाल पुत्र जगदीश जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 सा0 अणतपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर, कानाराम पुत्र भौरीलाल जाति गुर्जर सा0 दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर हिस्सा 1/2 खातेदार के नाम दर्ज है एवं नामान्तरकरणसंख्या 115 नि0दि0 20.03.2013 बेचान के द्वारा विक्रय पत्र के खसरा नंबर 929/1064 रकबा 0.31 हेक्टर को छोड़कर शेष खातें में किता 15 रकबा 9.89 हेक्टर में डगली देवी पत्नी टीकाराम जाति मीना सा0देह हि0 1221/1978 शंकरलाल पुत्र जगदीश गुर्जर हि0 957/1978 सा0 अणतपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर खातेदार के नाम स्वीकार हुआ। नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 08.05.2013 द्वारा वि0 पत्र किता-16/1020 में से शंकरलाल पुत्र जगदीश गुर्जर हि0 1/2 में से ग्यारसीलाल पुत्र कुन्जीलाल गुर्जर निवासी श्रीपुरा तहसील निवाई जिला टोंक के नाम हि0 135/1020 शंकरलाल पुत्र जगदीश गुर्जर का बदस्तूर रहा तथा हि0 1/2 बदस्तूर जमाबंदी रहा। नामान्तरणकरण संख्या 111 दिनांक 26.06.2013 द्वारा रहन पत्र डगली देवी पत्नी टीकाराम मीणा का हिस्सा 1221/1978 राहिन बी.आर.जी.बी. शाखा बौंली मुर्तहीन स्वीकार हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भूमि सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। हमारी विनम्र राय में किन-किन खातेदारान का काब्जा किन-किन खसरा नंबरान पर है यह तो दावा पत्राावली में विस्तृत साक्ष्य एवं विस्तृत विवेचन के उपरांत ही तय किया जाना संभव होगा किन्तु दावा पत्रावली में निर्णय होने तक किसी भी पक्षकार का भूमि में निहित हित प्रभावित नहीं हो, इसलिए विवादित भूमि के रिकार्ड का मौके की ताफैसला दावा यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के साथ स्वीकार किया जाता है उभयपक्षकारान भूमि खसरा नंबर 915 रकबा 1.22 हेक्टर, 916 रकबा 0.40 हेक्टर, 917 रकबा 0.95 हेक्टर, 920 रकबा 0.64 हेक्टर, 921 रकबा 0.53 हेक्टर, 922 रकबा 0.32 हेक्टर, 923 रकबा 0.37 हेक्टर, 924 रकबा 0.70 हेक्टर, 925 रकबा 0.73 हेक्टर, 926 रकबा 0.40 हेक्टर, 927 रकबा 1.26 हेक्टर, 928 रकबा 0.47 हेक्टर, 929/1064 रकबा 0.31, 930 रकबा 0.77 हेक्टर, 931/997 रकबा 0.63 हेक्टर, 932/1009 रकबा 0.50 हेक्टर वाके ग्राम बोरखेड़ा के रिकार्ड एवं मौके की ताफैसला दावा यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे। यह आदेश लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मोरण में दिनांक 30/5/18 को सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर ★ बौंली जिला सवाई माधोपुर ★

(बिजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner